मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र./ /NREGS-M.P/वित्त एवं लेखा/2011/6612 भोपाल, दिनांक 22/06/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला पंचायत ..... (समस्त)

विषयः— महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. के अंतर्गत रोजगार मूलक कार्यो हेतु वित्त वर्ष 2011—12 में अतिरिक्त किश्त के प्रस्ताव विषयक।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. के संचालन हेतु परिषद् स्तर ''राज्य रोजगार गारंटी निधि'' के द्वारा समानुपातिक केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि जिलों को जारी की जा रही हैं । इस वित्त वर्ष 2011—12 में राशि प्राप्त करने हेतु यह उल्लेखनीय है कि गतवर्ष के अंतिम शेष के आंकड़ों एवं इस वित्त वर्ष में प्राप्त धनराशि इस प्रकार से कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध 60 प्रतिशत व्यय एवं उसका **MIS** होने पर ही जिलों द्वारा राशि की मांग की जा सकेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि 60 प्रतिशत व्यय एवं **MIS** का लक्ष्य जिलों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा अतः जिले के अंदर विभिन्न कियान्वयन ऐजेंसियों में आंतरिक धन प्रवाह के समुचित प्रबंधन का उत्तरदायित्व जिले का होगा। राशि किसी भी स्तर पर अवरूद्ध न हो साथ ही स्कीम का संचालन भी बाधित न हो। इस स्थिति को भी निरंतर समीक्षित करना होगा।

अतः उपलब्ध राशि के विरूद्ध 60 प्रतिशत व्यय एवं उसके MIS होने के उपरांत निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए राशि मांग के प्रस्ताव भेजे जायें। निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. निर्धारित प्रारूप B-16 में राशि की मांग।
2. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र B-17 (गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष) की अद्यतन स्थिति एवं वर्तमान में उपलब्ध धनराशि के विरूद्ध 60 प्रतिशत व्यय होने की अनिवार्यता।
3. अद्यतन एमआईएस रिपोर्ट एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन।
4. लेबर बजट की प्रति।
5. कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति।
6. शिकायतों के निराकरण की वस्तुस्थिति तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अद्यतन स्थिति।
7. संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार प्रमाण पत्र।

उपरोक्त दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। किसी भी दस्तावेज के संलग्न न होने पर प्रस्ताव संबंधित जिले को मूलतः वापिस कर दिया जावेगा । राशि प्राप्त करने का प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी एमजीएनआरईजीएस के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

संलग्नः यथोपरि

22/6/11

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल, दिनांक 22/06/11

पृ क्र./ /NREGS-M.P/वित्त एवं लेखा/2011/6613

प्रतिलिपिः

समस्त संभागायुक्त म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।

22/6/11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. अंतिम शेष चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष के आकड़े समान है और निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शित प्रारंभिक और अंतिम शेष के आंकड़े तदानुसार हैं। साथ ही अंतिम शेष के आंकड़े ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही प्राप्त किये गये हैं।
2. प्राप्त की गई सभी निधियां केवल अधिकृत बचत बैंक खाते में ही जमा की गई हैं ।
3. समानुपातिक केन्दांश एवं राज्यांश उपलब्ध हैं ।
4. लेखांकन शुद्ध होकर लेखों की अंक गणितीय गणना शुद्ध है।
5. शासकीय धन जिले में संचालित खातों में कही पर भी अवस्द्ध नहीं है एवं धन की वास्तव में आवश्यकता है ।
6. उपलब्ध धन राशि के विरूद्ध 60 प्रतिशत व्यय हो चुका हैं।
7. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित संकर्मों की लागत के अनुसार निधियों का कम से कम पचास प्रतिशत अनुबंधित अवधि के भीतर ग्राम पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है ।
8. राशि नियमानुसार अधिनियम के प्रावधानों के पालन अनुसार एवं प्रक्रिया अनुसार उपयोग की गई हैं तथा श्रम एवं सामग्री (60:40) का पालन किया जा रहा हैं। विधिवत अभिलेखों का भी संधारण किया जा रहा हैं ।
9. राशि के व्यपवर्तन (Diversion) एवं गबन (व्यपहरण– Embezzlement)संबंधी कोई प्रकरण नही हैं ।
10. राशि का सावधि जमा नही किया गया ।
11. राशि पर बैंक द्वारा प्रचलित दरों पर ब्याज दिया गया है व संस्था द्वारा इसे स्कीम में सम्मिलित किया गया है ।
12. सामग्री क्रय में समुचित वित्तीय स्वीकृतियॉ एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन आवश्यक रूप से किया जा रहा हैं ।
13. लेखों का बंदीकरण एवं बैंक समाशोधन मासिक रूप से किया जा रहा है।
14. अग्रिमो को व्यय के रूप में नही दर्शाया गया हैं ।
15. दस प्रतिशत एवं सौ प्रतिशत कार्यो का भौतिक एवं मस्टर रोल के सत्यापन नियमानुसार किया जा रहा हैं ।
16. मस्टर रोल स्कीम की दिशा निर्देशानुसार संधारित किए हैं ।
17. सामाजिक लेखा परीक्षण संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जा रहा हैं ।
18. जॉब कार्ड धारी अकुशल श्रमिकों को अकुशल श्रम भुगतान शत–प्रतिशत बैंक/पोस्ट ऑफिस से किया जा रहा हैं ।
19. कार्यो का नियमित मूल्यांकन किया जा रहा हैं ।
20. प्रशासनिक व्यय की सीमा एवं निर्देशो का पालन किया जा रहा हैं ।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	लेखाधिकारी (एमजीएनआरईजीएस)	जिला कार्यक्रम समन्वयक